International Journal Of Advances In
ENGINEERING, SCIENCE, COMMERCE, MANAGEMENT AND LAW

International Journal of Advances in Engineering, Science, Commerce, Management, and Law
ISSN : 3048-8427 (Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal)

Original Article

समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति एवं डॉ. अंबेडकर का नारीवादी चिंतन की प्रासंगिकता

राकेश कुमार ठाकुर

शोधछात्र

राजनीति विज्ञान विभाग

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

डॉ जितेंद्र आर्यन

सहायक प्राध्यापक

राजनीति विज्ञान विभाग

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

शोध सार:

डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज सुधारक, विधिवेत्ता और संविधान निर्माता के रूप में विख्यात हैं, जिन्होंने नारी सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका नारीवादी चिंतन भारतीय सामाजिक संरचना, विशेषकर हिंदू धर्मग्रंथों और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में निहित पितृसत्तात्मक मान्यताओं की आलोचना पर आधारित था। अंबेडकर ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा, समान अधिकार और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक जैसे मामलों में कानूनी अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया, जो उस समय क्रांतिकारी था। उनके विचार न केवल दलित महिलाओं, बल्कि सभी वर्गों की महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन लैंगिक भेदभाव, हिंसा और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अंबेडकर के नारीवादी विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे शिक्षा, कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित हिंदू कोड बिल और संवैधानिक प्रावधान, जैसे समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15), आज भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह लेख अंबेडकर के नारीवादी चिंतन, उनके द्वारा किए गए कार्यों और वर्तमान भारत में इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है।

कुंजी शब्द- नारीवादी चिंतन, लैंगिक समानता, हिंदू कोड बिल, सामाजिक सुधार, संवैधानिक अधिकार

परिचय:

आज हम 21वीं सदी में हैं, एक ऐसी सदी जो सामाजिक न्याय, समावेशिता, और मानवाधिकार जैसे मुद्दों को वैश्विक मंच पर प्राथमिकता देती है। यह वह युग है जब महिलाएँ हर क्षेत्र—चाहे वह राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, या उद्यमिता हो—में नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। विश्व स्तर पर, महिलाओं ने अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया है, फिर भी लैंगिक समानता, हिंसा, और सामाजिक रूढ़ियों जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के साथ-साथ पितृसत्तात्मक संरचनाएँ गहरी जड़ें रखती हैं, महिलाओं का संघर्ष और भी जटिल है। इस परिप्रेक्ष्य में, डॉ. भीमराव अंबेडकर का नारीवादी चिंतन और उनके द्वारा किए गए प्रयास चिरस्थायी महत्व रखते हैं। डॉ. अंबेडकर , भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक सुधारक, ने लैंगिक और जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष किया **(कुमार एवं दास, 2019)**[1]। उनका नारीवादी दृष्टिकोण परम्परागत हिंदु सामाजिक संरचना एवं पितृसत्तात्मक मान्यताओं की आलोचना पर आधारित था। उन्होंने शिक्षा, कानूनी सुधार, और सामाजिक जागरूकता को महिलाओं के सशक्तीकरण का आधार माना। हिंदू कोड बिल और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह, और तलाक जैसे क्षेत्रों में समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उनके विचार न केवल दलित महिलाओं, बल्कि सभी वर्गों की महिलाओं के उत्थान के लिए प्रेरणादायी थे **(एक्का, 2019)**[2] । वर्तमान में, जब भारत में

महिलाएँ प्रगति कर रही हैं, फिर भी लैंगिक भेदभाव और हिंसा जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। अंबेडकर का दृष्टिकोण इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उनके विचार सामाजिक न्याय और समावेशिता के आधुनिक लक्ष्यों के साथ संनादति हैं, जो इस अध्ययन को प्रासंगिक और आवश्यक बनाते हैं। इस लेख का प्रयास है कि अंबेडकर के विचारों को वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में समझा जाए और यह विश्लेषण किया जाए कि कैसे उनके सिद्धांत आधुनिक भारत में लैंगिक न्याय के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं।

अंबेडकर का जीवन परिचय:

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ। छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए, उन्होंने अपनी शिक्षा को हथियार बनाया। उन्होंने बड़ौदा, कोलंबिया और लंदन विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के पहले दलित व्यक्ति थे, जिन्होंने विदेश में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। अंबेडकर ने सामाजिक सुधार के लिए कई आंदोलन चलाए, जिनमें महाड सत्याग्रह (1927) और मंदिर प्रवेश आंदोलन शामिल हैं **(चंद्रा, 2017)**[3]। उन्होंने दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सामाजिक समानता के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। 1935 में, उन्होंने घोषणा की कि वे हिंदू धर्म छोड़ देंगे। 1956 में, उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका अभूतपूर्व थी। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव के खिलाफ प्रावधान सुनिश्चित किए **(जाटव, 1996)**[4]। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के लिए कानूनी सुधारों की वकालत की। उनके लेखन, जैसे एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट और *द बुद्धा एंड हिज धर्मा*, सामाजिक सुधार और लैंगिक समानता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया।

डॉ. अंबेडकर का नारीवादी चिंतन:

डॉ. भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी राष्ट्र का विकास बिना महिलाओं की समान भागीदारी के संभव नहीं है। उन्हें अपने समय की परंपरागत सामाजिक संरचना और उसके कार्यप्रणाली की गहरी समझ थी **(मेघवाल,1994)**[5]। वे 20वीं शताब्दी के उन महान चिंतकों और समाज सुधारकों में से थे, जिनके सामाजिक न्याय के विचारों ने विश्व स्तर पर प्रभाव डाला। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व भर में महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंतन शुरू हुआ और उनके अधिकारों के लिए प्रयास किए गए। इस दौरान भारत में राष्ट्रवादी जागृति उभरी और भारतीय महिलाओं को राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लेने का अवसर मिला। हालांकि, समाज का परंपरागत दृष्टिकोण, शोषण और शूद्रों जैसी सामाजिक स्थिति के कारण महिलाओं की दशा दयनीय बनी रही। राष्ट्रवादी आंदोलनों में अधिकतर संभ्रांत परिवारों की महिलाएँ ही दिखाई देती थीं, जबकि दलित, आदिवासी और अन्य जातियों की महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी।

डॉ. अंबेडकर पहले सामाजिक विद्वान थे, जिन्होंने भारत में महिलाओं की समस्याओं को जेंडर दृष्टिकोण (लैंगिक असमानता) से विश्लेषित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की समस्याएँ सामाजिक हैं, प्राकृतिक नहीं। भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का प्रमुख कारण सामाजिक ढाँचे में निहित जाति आधारित संरचना और परंपरागत मान्यता है, जो महिलाओं को बचपन में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था या पति की मृत्यु के बाद पुत्र के संरक्षण में रहने के लिए बाध्य करती है। अंबेडकर के नारीवादी चिंतन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उनकी सोच सभी वर्गों और जातियों की महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित थी **(एक्का,2019)**[6]। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ब्रिटिश काल, विशेषकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई सामाजिक सुधार आंदोलन चले। बाल विवाह, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा और सती प्रथा जैसी शोषणकारी प्रथाओं पर रोक लगाई गई। यद्यपि ये सुधार आंदोलन के रूप में आए, लेकिन अंबेडकर ने महिला सुधार को महिला-पुरुष समानता का स्वरूप देकर इसे एक नया आयाम प्रदान किया। उनकी दूरदर्शी सोच ने महिलाओं के सामाजिक सुधार से आगे बढ़कर पुरुषों के समान अधिकारों की वकालत की। उन्होंने कानूनी और वैधानिक संरक्षण प्रदान करने के प्रयास किए **(एक्का, 2019)**[7]।

अंबेडकर को भारतीय समाज में महिलाओं की पीड़ा और शोषण भरे अंधकारमय जीवन की गहरी समझ थी। 1916 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत उनके पत्र *"कास्ट इन इंडिया : देयर मैकेनिज्म,जेनिसिस एंड डेवलपमेंट"* में उन्होंने जाति और जेंडर के अंतर्संबंधों को रेखांकित किया **(पासवान, 2015)**[8]। उनका नारीवादी चिंतन केवल सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें महिलाओं की घरेलू स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल था। वे महिलाओं को पुरुषों के समान स्वतंत्र, सक्रिय और सक्षम देखना चाहते थे। अपने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के बिना सामाजिक परिवर्तन असंभव है और शिक्षा के बिना अस्तित्व की कल्पना व्यर्थ है। इसलिए, उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने 1920 में *मूकनायक* और 1927 में *बहिष्कृत भारत* जैसे समाचार पत्र शुरू किए, जिन्होंने महिला आंदोलनों को नई दिशा प्रदान की **(चंद्रा, 2017)**[9]।

भारत में महिला आंदोलन में प्रथम शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का नाम अग्रणी है, जिन्होंने पूरे भारत में महिला सशक्तीकरण का बीज बोया। अंबेडकर सावित्रीबाई फुले के विचारों से गहरे प्रभावित थे और न केवल प्रभावित हुए, बल्कि बाद में कई महिला आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत और नेतृत्वकर्ता बने। 20 जुलाई 1924 को उन्होंने *बहिष्कृत हितकारिणी सभा* की स्थापना की और अछूतोद्धार आंदोलन शुरू किया, जिसमें महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सभा के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य किए गए, जिनमें महिला शिक्षा प्रमुख थी। 1927 के महाड़ आंदोलन में महिलाओं ने चावदार तालाब के पानी के उपयोग के लिए संगठित होकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन में भी महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। 1928 में उनकी पत्नी रमाबाई की अध्यक्षता में महिला मंडल की स्थापना, 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जैसे आयोजनों और प्रयासों के माध्यम से अंबेडकर महिला हितकारी कार्यों में निरंतर सक्रिय रहे **(कुमार, 2019)**[10]। 1940 में अंबेडकर कमेटी द्वारा प्रस्तावित हिंदू कोड बिल में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रावधान था, जिसका ब्राह्मणवादी और रूढ़िवादी सामाजिक तत्वों ने कड़ा विरोध किया। प्रसूति अवकाश, समान कार्य के लिए समान वेतन और बाद में संविधान निर्माण के दौरान महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के विशेष अधिकार प्रदान करने के उनके प्रयास उन्हें महिला सशक्तीकरण के प्रभावशाली प्रणेता के रूप में स्थापित करते हैं।

समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति एवं डॉ अंबेडकर के नारीवादी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता :

स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं। शिक्षा सामाजिक विकास का सबसे प्रभावी सूचक है। **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21)**[11] के अनुसार, 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं की साक्षरता दर 70.3% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% है। यह अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है, जहाँ सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक तंगी और बाल विवाह जैसे कारक लड़कियों की शिक्षा को बाधित करते हैं। 1951 में महिला साक्षरता दर मात्र 8.86% थी, जो 2021 तक 70.3% तक पहुँच गई, जो प्रगति को दर्शाता है। फिर भी, राजस्थान (52.12%) और बिहार (51.50%) जैसे राज्यों में स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* और *सर्व शिक्षा अभियान* जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और 24 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में साक्षरता दर लगभग 90% है, जो पुरुषों के समकक्ष है। हालांकि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं का नामांकन अभी भी कम है। सामाजिक मान्यताएँ, जैसे कि लड़कियों को जल्दी विवाह के लिए तैयार करना, और आर्थिक बोझ के कारण कई परिवार लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। इस संदर्भ में हम देखें तो महिलाओं के शिक्षा के संदर्भ में डॉ अंबेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक है। डॉ अंबेडकर कहते थे मैं ऐसी शिक्षा को नहीं मनाता जो समाज में असमानता को जन्म देता है वे महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षित करने की वकालत करते थे।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रमुख क्षेत्र है। **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (2022)**[12] के अनुसार, भारत की कुल आबादी का 48% हिस्सा महिलाएँ हैं, लेकिन केवल एक-तिहाई महिलाएँ कार्यबल में शामिल हैं। भारत की जीडीपी में महिलाओं

का योगदान मात्र 18% है, जो उनकी आर्थिक परनिर्भरता को दर्शाता है। श्रम बल भागीदारी दर 2004-05 में 37% थी, जो 2011-12 में घटकर 25% हो गई। महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में औसतन 62% है, और समान कार्य के लिए समान वेतन का अभाव एक बड़ी चुनौती है। गैर-कृषि क्षेत्रों में केवल 20% से कम महिलाएँ कार्यरत हैं, और अधिकांश महिलाएँ कृषि (76.3 मिलियन) और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जहाँ मजदूरी कम और कार्यस्थल असुरक्षित हैं। मणिपुर, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में गैर-कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में यह न्यूनतम है। पितृसत्तात्मक मान्यताएँ, जैसे कि पुरुषों को परिवार का प्रमुख मानना, और कार्यस्थल पर भेदभाव, जैसे यौन उत्पीड़न और असुरक्षित वातावरण, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सीमित करते हैं। *उद्यमिता* और *मुद्रा योजना* जैसी सरकारी योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रभाव सीमित है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने महिलाओं की आर्थिक आजादी को सामाजिक न्याय का अहम हिस्सा माना। उन्होंने संविधान में समान अधिकार, शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव देकर उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और विवाह में अधिकार दिलाने की कोशिश की। आज भी जब महिलाएं वेतन असमानता, रोजगार में भेदभाव और संपत्ति अधिकार की चुनौतियों से जूझ रही हैं, तब डॉ. आंबेडकर के विचार और प्रयास प्रेरणा देते हैं। उनका दृष्टिकोण आज भी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रासंगिक और मार्गदर्शक है।

भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन पितृसत्तात्मक संरचना अभी भी प्रभावी है। भारतीय संविधान लैंगिक समानता की गारंटी देता है (अनुच्छेद 14, 15, 16), और महिलाओं के लिए सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। फिर भी, सामाजिक रूढ़ियाँ, जैसे कि महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रखना, उनकी स्वतंत्रता को बाधित करती हैं। विश्व आर्थिक मंच की **वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट (2023)**[13] के अनुसार, भारत लैंगिक समानता में 146 देशों में 127वें स्थान पर है। राजनीतिक क्षेत्र में, 17वीं लोकसभा में केवल 15% सांसद और राज्य विधानसभाओं में औसतन 9% विधायक महिलाएँ हैं। महिला आरक्षण अधिनियम, 2023, जो लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी बाकी है। पंचायती राज संस्थानों में 33% आरक्षण के बाद ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका सीमित रहती है। सामाजिक स्तर पर, दलित और आदिवासी महिलाएँ जाति और लिंग आधारित दोहरे शोषण का सामना करती हैं। मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक और निकाह-हलाला जैसी प्रथाओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी है, जिसमें सफलता मिली है। फिर भी, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी प्रथाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं।महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने में डॉ. आंबेडकर का योगदान ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने शिक्षा, समानता और अधिकारों को महिलाओं की उन्नति का मूल आधार माना। हिंदू कोड बिल द्वारा उन्होंने महिलाओं को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति में समान अधिकार दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि कोई समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी महिलाएं पिछड़ी रहें। आज भी जब महिलाएं लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा और सामाजिक असमानता का सामना कर रही हैं, तब डॉ. आंबेडकर के विचार उन्हें न्याय और बराबरी की राह दिखाते हैं।

लिंग आधारित हिंसा भारत में एक गंभीर समस्या है। **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2021)**[14] की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए गए, जिसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और द कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शामिल हैं। यह आँकड़ा केवल दर्ज मामलों को दर्शाता है, और वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। घरेलू हिंसा निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में अधिक प्रचलित है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन कार्यान्वयन में कमी है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या और ऑनर किलिंग जैसे अपराध सामाजिक रूढ़ियों से प्रेरित हैं। मथुरा बलात्कार कांड (1979-80) जैसे मामलों ने कानूनी सुधारों को प्रेरित किया, जैसे भारतीय दंड संहिता में संशोधन, लेकिन सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण हिंसा बनी हुई है। लैंगिक भेदभाव भारतीय समाज में गहरे तक व्याप्त है। कार्यस्थल पर, महिलाओं को कम वेतन, पदोन्नति में बाधाएँ और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सामाजिक स्तर पर, लैंगिक रूढ़ियाँ, जैसे कि पुरुषों को परिवार का प्रमुख मानना, महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करती हैं। दलित और आदिवासी महिलाएँ जाति और लिंग आधारित

भेदभाव का सामना करती हैं, जो उनकी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करता है। *इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट* समान वेतन की गारंटी देता है, लेकिन इसका उल्लंघन आम है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है। सामाजिक मान्यताएँ, जैसे कि विवाह को महिलाओं का प्राथमिक लक्ष्य मानना, उनके करियर और व्यक्तिगत विकास को बाधित करती हैं।

निष्कर्ष :

डॉ. भीमराव अंबेडकर का नारीवादी चिंतन और उनके द्वारा किए गए कार्य भारतीय समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम थे। उन्होंने पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणवादी संरचनाओं की आलोचना की और शिक्षा, कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। हिंदू कोड बिल और संवैधानिक प्रावधान उनके दृष्टिकोण के मूर्त रूप हैं। वर्तमान भारत में, जहाँ महिलाएँ प्रगति कर रही हैं, फिर भी लैंगिक हिंसा, आर्थिक असमानता और सामाजिक रूढ़ियाँ बाधाएँ बनी हुई हैं। अंबेडकर के विचार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे समावेशी और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अंबेडकर का यह विश्वास कि सामाजिक और कानूनी सुधार परस्पर जुड़े हैं, आज भी मार्गदर्शन करता है। उनके विचारों को लागू करने के लिए, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, कानूनों का सख्त कार्यान्वयन करना, और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना आवश्यक है। विशेष रूप से दलित और ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अंबेडकर की विरासत हमें यह सिखाती है कि लैंगिक समानता केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मानसिकता में बदलाव की माँग करती है। इस प्रकार, अंबेडकर का नारीवादी चिंतन न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि आधुनिक भारत में लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

संदर्भ सूची :

1. कुमार, पी., & दास, एम. (2019). *आधी आबादी के मुक्तिदाता डॉ भीमराव अंबेडकर. आर, कुमार एवं एम. मेश्राम (संपा.), इक्कीसवीं सदी का भारत और डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता* . नवयुग बुक इंटरनेशनल, दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 93–97.
2. एक्का, एम. (2019). *भारत में महिला सशक्तिकरण: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं डॉ अंबेडकर का योगदान. आर, कुमार एवं एम. मेश्राम (संपा.), इक्कीसवीं सदी का भारत और डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता* . नवयुग बुक इंटरनेशनल, दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 54–63.
3. चंद्रा, एम. (2017). *डॉ भीमराव अंबेडकर: विचार एवं दर्शन.* विक्टोरियस पब्लिशर्स, दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 10–30.
4. जाटव, डी. आर. (1996). *डॉ अंबेडकर का समाज दर्शन.* समता साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ संख्या - 1–10.
5. मेघवाल, एम. (1994). *भारतीय नारी के उद्धारक बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर.* संपर्क प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 117.
6. एक्का, एम. (2019). *भारत में महिला सशक्तिकरण: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं डॉ अंबेडकर का योगदान. आर, कुमार एवं एम. मेश्राम (संपा.), इक्कीसवीं सदी का भारत और डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता* . नवयुग बुक इंटरनेशनल, दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 54–63.
7. वही. (2019). *भारत में महिला सशक्तिकरण: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं डॉ अंबेडकर का योगदान.* नवयुग बुक इंटरनेशनल, दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 54–63.
8. पासवान, ए. (2015). *हाशिये का समाज एवं डॉ अंबेडकर.* टाइम्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 15.
9. चंद्रा, एम. (2017). *डॉ भीमराव अंबेडकर: विचार एवं दर्शन.* विक्टोरियस पब्लिशर्स, दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 13.
10. कुमार, आर. (2019). *वर्तमान भारत में शिक्षा, सामाजिक न्याय का विषय एवं डॉ आंबेडकर की प्रासंगिकता. आर, कुमार एवं एम. मेश्राम (संपा.), इक्कीसवीं सदी का भारत और डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता* . नवयुग बुक इंटरनेशनल, दिल्ली, पृष्ठ संख्या - 41–53.
11. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण. (2021). *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) 2019–21.* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
12. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय. (2022). *भारत में श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण 2021–22.* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
13. विश्व आर्थिक मंच. (2023). *वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2023.* विश्व आर्थिक मंच, जिनेवा.
14. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. (2022). *भारत में अपराध 2021.* गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.